न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 107 / 2021 **GCMS 2021/436**

वादीया

1. नंदुकंवर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पूजा तिवाड़ी पत्नी सागरमल जाति जाट निवासी कुचामनसिटी
2. बजरंगलाल पुत्र मदनलाल जाति जांगिड़ निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी
3. भुवानाराम पुत्र मांगूराम जाट निवासी सिड़ियास तहसील कुचामनसिटी
4. राबिया बानो पत्नी आसिफ जाति कायमखानी निवासी कुचामनसिटी
5. रामूराम पुत्र बालूराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
6. रिन्कु सोनी पत्नी महेश कुमार सोनी निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी
7. शैतानसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
8. संगीता पत्नी तुलछाराम जाति जाट निवासी कुचामनिसिटी
9. हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
10. कुसुम देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वर्णकार निवासी कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)।

दावा— इस्तकरार हक व भू—विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीया की ओर से।
श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रतिवादी सं.4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 13/10/2022

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम टोरडा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1130 / 1078 रकबा 2.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 2.99 हैक्टर में वादिया की खातेदारी 277 / 5980 अर्थात 0.1385 हैक्टर भूमि अन्य खातेदारो के साथ दर्ज चली आ रही है, उक्त भूमि वादीया द्वारा तत्कालीन खातेदार हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत निवासी कुचामनसिटी से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनॉक 03.06.2019 से क्रय की गई तत्पश्चात वादिया उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है, उपरोक्त भूमि में मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादिया का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण पर है, मध्य में सड़क है जो कि खसरा नम्बर 1130/1078 सड़क के दक्षिणी तरफ स्थित चली आ रही है जिसमें वादिया का कब्जा अधिकार नही है, वादग्रस्त भूमि का मौके पर आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा कर रखा है जिसमें से खसरा नम्बर 959 व 960 वादिय के कब्जा एवं बंट में है तथा अन्य भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है, वादिया अपने हक हिस्से की भूमि 0.1385 हैक्टर का भू–विभाजन कर स्पष्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहती है इसलिए वाद लाना आवश्यक हुआ है, वादिया की इस्तदुआ है कि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 1130/1078 रकबा 2.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 2.99 हैक्टर मे से खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण वादीया काबिज खातेदार चली आ रही है इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा खसरा नम्बर 959, 960 में से प्रतिवादीगण का तथा खसरा नम्बर 1130/1078 में से वादीया का नाम हटाया जावें, उपरोक्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भू–विभाजन करके सेपरेट होल्डिग कायम करने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत हुआ, प्रतिवादीगण 1 से 3, 5 सं. 10 की तलबी जरिये अखबार स्याहा की गई तथा प्रतिवादी सं. 11 की तलबी साधारण तरीके से की गई। जो अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 4 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादिया के वादपत्र अनुसार खातेदार दर्ज की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी नकल ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खाता सं. 184 खसरा नम्बर 1130/1078, 959, 960 की नकल सम्वत 2073–2076, बेचान दस्तावेज संख्या 201903471101975 दिनॉक 03.06.2019 की छाया प्रति प्रस्तुत की, मौखिक साक्ष्य में वादिया एवं गवाह चन्द्रप्रकाश का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, जिसने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 959, 960 की भूमि सम्पूर्ण अपने कब्जे काश्त में होना तथा इन्ही की खातेदारी की घोषणा किये जाने का कथन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम टोरड़ा के जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 959, 960, 1130/1078 में अन्य खातेदारो के साथ वादिया का 277/5980 हक हिस्सा सह खातेदारी में दर्ज है, जो 0.1385 हैक्टर हक

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

हिस्सा बनता है, खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.13 हैक्टर में हक हिस्सा चाहा गया है, बेचान दस्तावेज दिनॉक 03.06.2019 में भी वादिया का कब्जा काश्त होना एवं कुचामन से मकराना जाने वाली सड़क पर भूमि होना बताया गया है। नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 959, 960 उपरोक्त दर्शाये अनुसार प्रतीत होते है, प्रस्तुत शपथ–पत्र में भी उपरोक्त खसरा 959 960 में वादिया का कब्जा काश्त होना साबित है, बहस दौरान वकील वादी ने भी कथन किया है कि वाद बंटवारा का प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादिया का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 959 960 मे ही चला आ रहा है जिसका रकबा 0.13 हैक्टर होता है तथा शेष रकबा 0.0085 हैक्टर खसरा नम्बर 1130 / 1078 में सह खातेदारी में रखा जावें। बंटवारा का अनुतोष नही दिया जाकर वाद को अंतिम रूप से डिक्री सादिर फरमाया जावे। उपरोक्त खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.13 हैक्टर में वादिया को खातेदार घोषित किये जाने संबंधी किसी भी पक्षकार / खातेदार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की है, प्रतिवादी सं. 4 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है। इस प्रकार यदि वादिया को खसरा नम्बर 959, 960 में खातेदार घोषित किया जाता है तो अन्य खातेदारान पक्षकारान के हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नही होगा। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि के अवलोकन से वादिया का वाद अंतिम रूप से काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.13 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1130 / 1078 रकबा 2.86 हैक्टर में से वादिया को 0.0085 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 959, 960 में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता है, तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे, तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 23/10/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी   मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 107 / 2021 **GCMS 2021/436**

वादीया

1. नंदुकंवर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पूजा तिवाड़ी पत्नी सागरमल जाति जाट निवासी कुचामनसिटी
2. बजरंगलाल पुत्र मदनलाल जाति जांगिड़ निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी
3. भुवानाराम पुत्र मांगूराम जाट निवासी सिड़ियास तहसील कुचामनसिटी
4. राबिया बानो पत्नी आसिफ जाति कायमखानी निवासी कुचामनसिटी
5. रामूराम पुत्र बालूराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
6. रिन्कु सोनी पत्नी महेश कुमार सोनी निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी
7. शैतानसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
8. संगीता पत्नी तुलछाराम जाति जाट निवासी कुचामनिसिटी
9. हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
10. कुसुम देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वर्णकार निवासी कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)।

दावा– इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि.1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 959 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.13 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1130 / 1078 रकबा 2.86 हैक्टर में से वादिया को 0.0085 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 959, 960 में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता है, तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे, तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 10 सन् 2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।